न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—374 / 2015 / 225 (2015 / 00374)

1. हनुमान पुत्र चुन्नीलाल,
   1 / 1— श्रीमती रूपादेवी पत्नी हनुमान,
   1 / 2— ओमप्रकाश पुत्र हनुमान,
   1 / 3— रमेश पुत्र हनुमान,
   1 / 4— गणेश पुत्र हनुमान,
   1 / 5— सत्यनारायण पुत्र हनुमान,
   1 / 6— मन्जू देवी पुत्री हनुमान,
2. रामकिशोर पुत्र चुन्नीलाल,
3. श्योजी पुत्र चुन्नीलाल,
4. सूरज पुत्र चुन्नीलाल,
5. कमला पुत्री चुन्नीलाल,
6. मीरा पुत्री चुन्नीलाल,
7. गीता पुत्री चुन्नीलाल,

   समस्त जाति जाट, निवासी नाचनीपुरा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर।

अपीलांटस

बनाम

1. करणा पुत्र भींवा दत्तक पुत्र मोहरू, जाति जाट, निवासी नाचणीपुरा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
2. मोहनलाल पुत्र करण, जाति जाट, निवासी नाचणीपुरा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
3. तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू दिनांक 24.9.2014 अंतर्गत प्रकरण संख्या 164 / 2013 (31 / 2013).

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री पन्नालाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः— 20.9.2019

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के आदेश दिनांक 24.9.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश कर निवेदन किया कि जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 के आराजी खतौनी संख्या 6 के आराजी खसरा नंबर 38 रकबा 0.90 है0 वाके ग्राम दयालपुरा, तह0 मौजमाबाद में स्थित है व जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के खतौनी संख्या 7 के आराजी खसरा नंबर 143 रकबा 3.0800 है0 वाके ग्राम नाचनीपुरा, तह0 मौजमाबाद में स्थित है जिसके साबिक खसरा नंबर क्रमशः 1018 व 817 है । उक्त आराजियात के प्रार्थीगण काबिज काश्त एवं खातेदार है । विवादित आरायिजात के साबिक खसरा नंबर 1018 व 817 थे, जो बरवक्त पर्चा सेटलमेंट से उक्त आराजियात सिवायचक भूमि थी जिस पर पहले प्रार्थीगण के पूर्व चुन्नीलाल काबिज काश्त था और उसकी मृत्यु के बाद उक्त आराजियात पर प्रार्थीगण शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है । उक्त आराजियात से अप्रार्थी संख्या 1 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा न ही अप्रार्थी संख्या 1 का विवादित आराजियात से कोई संबंध सरोकार ही है । अप्रार्थी संख्या 1 करणा, भींवा पुत्र बालू का लड़का है और भींवा पुत्र बालू का स्वर्गवा होने पर उसकी विरासत का नामांतकरण भी अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने नाम खुलवा लिया है । ऐसे ही अप्रार्थी ने मोहरू नाम के व्यक्ति का जिसके काई वारिस नहीं था, उदसका जानबूझकर अपने आपको मोहरू का दत्तक पुत्र बताते हुए उसकी आराजियात का नामांतकरण भी दत्तक पुत्र बनते हुए अपने नाम खुलवा लिया । इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 विवादित आराजियात साबिक खसरा नंबर 1018 व 817 का फर्जी तौर पर गलत पिता का नाम (गलत वल्दियत) अपने आपको रामकरण का पुत्र बताते हुए करणा पुत्र रामकरण के नाम से गलत व फर्जी तरीके से राज्य सरकार को धोखे मे रखते हुए दिनांक 21.11.1966 को उक्त आराजियात का आवंटन करवा लिया, जो गलत हुआ जबकि उक्त आराजियात पर प्रार्थीगण के पूर्व चुन्नीलाल काबिज काश्त था तथा उसके स्वर्गवास के उपरांत प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है । रामकरण नाम का कोई व्यक्ति ग्राम नाचनीपुरा में नहीं होते हुए भी अप्रार्थी संख्या 1 ने फर्जी व नुमाईशी आवंटन करवा लिया जो प्रार्थीगण के हितो के विरूद्ध बेअसर व प्रभावशून्य है । विवादित आराजियात का आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में करने से पूर्व प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये था तथा कब्जे की जांच करनी चाहिये थी । आवंटन गलत होने से अप्रार्थी संख्या 1 को किसी प्रकार का कानूनन खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते है । विवादित आराजियात पर बिना कब्जा काश्त हुए है अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेखों में गैर खातेदारी का नामांतकरण व खातेदारी का नामांतकरण अंकन होकर राजस्व अभिलेखों में इंद्राज हो गया है, जो गलत है । अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने एकमात्र पुत्र अप्रार्थी संख्या 2 को उक्त आराजियात बिना प्रतिफल लिये और बिना कब्जा सुपुर्द किये गलत तौर पर नुमाईशी विक्रय पत्र तस्दीक करा दिया है । इस गलत इंद्राज एवं विक्रय पत्र के आधार पर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को विवादित आराजियात से बेदखल करने एवं विवादित आराजियात को अन्यंत्र हस्तातंरण करने पर आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को इस अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात में प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी न स्वंय

करे, न अन्य किसी नौकर, चाकर एजेन्ट आदि से करावे तथा न ही विवादित आराजियात का रहन, बेय, मुन्तकिल, दान–बख्शीश विकग्रय आदि करे । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 24.9.2014 द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश पारित किये। अधी0न्यायालय के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विवादित आराजियात राजस्व अभिलेख में अपीलांटस के नाम खातेदारी में चली आ रही है तथा मौके पर कब्जा काश्त अपीलांटस का ही चला आ रहा है । रेस्पो0 संख्या 1 ने फर्जी तौर पर गलत वल्दियत अंकित कर स्वंय को रामकरण का पुत्र बताते हए करणा पुत्र रामकरण के नाम गलत व फर्जी आवंटन अपने नाम करवा लिया जबकि विवादित आराजियात पर पहले अपीलांटस के पूर्वज चुन्नीलाल का तथा उसकी मृत्यु उपरांत अपीलांटस का कब्जा काश्त चला आ रहा है । बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 करणा भींवा का पुत्र है जिसके स्वर्गवास पर भींवा की विरासत रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है । रेस्पो0 संख्या 1 ने मोहरू का दत्तक पुत्र बनकर उसकी आराजियात का नामांतकरण भी अपने नाम खुलवा लिया है। कब्जे के अभाव में रेस्पो0 संख्या 1 को किया गया आवंटन प्रारंभ से शून्य है । उक्त आवंटन से पूर्व कब्जे की भी जांच नहीं की गई थी । आवंटन के पश्चात् पटवारी हल्का द्वारा कब्जा सुपुर्द किये जाने की भी कार्यवाही नही की गई है जिससे भी स्पष्ट है कि विवादित आराजियात पर कब्जा काश्त अपीलांटस का ही है । उक्त अवैध आवंटन को निरस्त कराने हेतु अपीलांटस ने विद्वान जिला कलक्टर के न्यायालय में अलग से कार्यवाही कर रखी है जो विचाराधीन है । गलत आवंटन बाबत् शिकायत किये जाने पर दिनांक 30.9.1977 को 15 व्यक्तियों जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 भी शामिल है, द्वारा करवाये गये गलत व फर्जी आवंटन की एक रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा बनायी जाकर तत्कालीन तहसीलदार, दूदू को भिजवाई थी जिस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है तथा बिना कब्जा काश्त के रेस्पो0 संख्या 1 के नाम गैर खातेदार तथा खातेदारी का नामांतकरण दर्ज कर दिया जो प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है। विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस ने खसरा गिरदावरी, मतदाता सूची एवं आदि पेश किये थे जिसे अधी0न्याया0 ने नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । रेस्पो0 संख्या 1 ने गलत आवंटन एवं इंद्राज के आधार पर एक नुमाईशी विक्रय पत्र अपने पुत्र रेस्पो0 संख्या 2 के नाम बिना प्रतिफल लिये कर दिया है जो भी शून्य है । अधी0न्याया0 को प्रार्थना पत्र धारा 212 का निस्तारण प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनो बिन्दुओं पर विधिवत् रूप से विवेचन करते हुए निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । रेस्पो0 गलत आवंटन एवं इंद्राज के आधार पर विवादित आराजियात को रहन, बैय तथा खुर्दबुर्द करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में वाद के निस्तारण तक रेस्पो0 को पाबंद किया जाना आवश्यक था । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पो0 को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश की जानकारी अधिवक्ता द्वारा उन्हें न हीं दी गई जिससे तत्समय आदेश की जानकारी नहीं हो सकी थी । प्रार्थीगण को अधिवक्ता ने प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में हाजिर नहीं होने बाबत् कह रखा था जिससे भी वे अधी0न्याया0 में प्रत्येक पेशी पर उपस्थित नहीं होते थे । दिनांक 17.8. 2015 को प्रार्थीगण द्वारा अधिवक्ता से संपर्क करने पर ज्ञात हुआ कि प्रकरण दिनांक 24.9.2014 को खारिज हो चुका है तत्पश्चात् प्रार्थीगण ने आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया तथा आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने जवाब बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 को आवंटित आराजियात है जिस पर रेस्पो0 का ही कब्जा काश्त है । आवंटन के उपरांत रेस्पो0 संख्या 1 को गैर खातेदारी एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है । रेस्पो0 विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हें किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन अपीलांटस के पक्ष में नहीं है । रेस्पो0 विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त है जिन्हें विवादित आराजियात बाबत् पाबंद किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी रेस्पो0 को ही होती है। विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि विवादित आराजियात के रेस्पो0 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त है । अपीलांट ने केवल मात्र कब्जे के आधार पर वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 को आवंटित आराजी है जिसकी पहले उसे गैर खातेदारी तत्पश्चात् खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है । ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलांटस के पक्ष में न होकर रेस्पो0 के पक्ष में पाया जाता है । रेस्पो0 जो कि विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार होकर काबिज काश्त है यदि उन्हें निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो रेस्पो0 को ही असुविधा होगी तथा अपूर्णीय क्षति भी रेस्पो0 को ही होने की पूर्ण संभावना है । मूल वाद अधी0न्याया0 में विचाराधीन है जिसमें अपीलांटस को क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है यह वाद में बाद साक्ष्य तय होंगे किन्तु वर्तमान में रेस्पो0 विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त है जिन्हें किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना विधिसम्मत् नहीं होने से विद्वान अधी0न्याया0 ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 खारिज किया है । अधी0न्याया0 के इस निर्णय में हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती

है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।

9. अतः अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.9.2014 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 20.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर